रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 नवम्बर, 1988/3 अग्रहायण, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 1 नवम्बर, 1988

संख्या पी०सी० एच०-एच० ए० (5).—क्योंकि श्री टेहलू राम, पंच, ग्राम पंचायत पोशना (बरौ) को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-1-88 को पंचायतों की बैठकों से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप निष्काशनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था;

क्योंकि श्री टेहलू राम, पंच द्वारा उपरोक्त नोटिस के सन्दर्भ में दिया गया उत्तर तथा खण्ड विकास अधिकारी, निरमण्ड की रिपोर्ट आंकने के पश्चात् यह तथ्य सामने आया है कि श्री टेहलू राम, पंच पंचायत बैठकों में तो उपस्थित होते रहे परन्तु उन्होंने कार्यवाही रजिस्टर में प्रधान के साथ उनके आन्तरिक मतभेद के होने के कारण कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये जो अनुचित हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री टेहलू राम, पंच, ग्राम पंचायत पोशना (बरौ) को चेतावनी दी जाती है कि यदि वह भविष्य में कार्यवाही रजिस्टर में हाजरी नही लगाते तो उन्हें पंचायत बैठकों में अनुपस्थित माना जाएगा।

2732-राजपत्र/88-24-11-88—1,252. मूल्य : 20 पैसे ।

शिमला-2, 2 नवम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 3/82.—क्योंकि श्री प्रेम चन्द पंच, ग्राम पंचायत कुठेहड़ा, विकास खण्ड हमीरपुर पर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 205/1 व 205/2 तादादी रकबा क्रमशः 0.4 मरले व 0.3 मरले (कुल 0.7 मरले) टीका डलवाणा गुजरां, तप्पा कुठेहड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर अवैध कब्जा कर रखा है;

और क्योंकि श्री प्रेम चन्द, पंच का यह कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9 (5) ( ) के अन्तर्गत उन्हें पंचायत की सदस्यता पर बने रहने के अधिकार से वांछित रखता है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के तथा ग्राम पंचायत नियमावली के नियम 77 के अन्तर्गत श्री प्रेम चन्द, पंच, ग्राम पंचायत कुठेहड़ा को निष्काशनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिये उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाये। उनका उत्तर जिलाधीश, हमीरपुर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी

हस्ताक्षरित/-,
अवर सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 5 नवम्बर, 1988

संख्या पी0एस0-5-औडिट/77-1542-1547.—चूंकि श्री मोही राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीबौंच, विकास खण्ड एवं तहसील शिलाई, जिला सिरमौर को ग्राम पचायत कोटीबौंच की मु0 146/- व 382/- कुल 528/- की धनराशि गबन करने के आरोप में इस कार्यालय के आदेश पृष्ठांकन संख्या पी0 एस-5-औडिट/77-1387-1392, दिनांक 26 सितम्बर, 1988 द्वारा हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत, प्रधान पद से निलम्बित किया गया था;

और चूंकि, श्री मोही राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीबौंच ने मु0 146/- व 382/- कुल 528/-, ग्राम पंचायत कोटीबौंच में रसीद सख्या 3, दिनांक 20-9-88 द्वारा जमा करवा दिए हैं, तथा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 15-10-88 में अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह उल्लेख किया है कि वे 20 सितम्बर, 1988 को उक्त राशि जमा करवाने के बाद समय पर सूचना नहीं दे सके। श्री मोही राम, प्रधान न भविष्य में निष्ठापूर्वक कार्य करने का भी विश्वास दिया है। मैं श्री मोही राम, प्रधान के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हूं।

अतः मैं, भीम सैन, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, उक्त धारा के अन्तर्गत अंकित निलम्बन आदेशों को रद्द करता हूं तथा श्री मोही राम, प्रधान ग्राम पंचायत कोटीबौंच को प्रधान पद पर बाहल करता हूं, प्रधान श्री मोही राम को भविष्य में साबधान रहने हेतु सख्त चेतावनी देता हूं। यह भी आदेश देता हूं कि वे उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीबौंच से प्रधान पद का कार्य प्राप्त करके प्रधान का कार्य संचालन करेंगे।

भीम सैन,
उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।